

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
(मंत्रालय)

--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक- 27/07/2019.


क्रमांक- 424/377/सीसी/2019/अडतीस :: राज्य शासन एतद् द्वारा सत्र 2019-20 में राष्ट्रीय अध्यापक परिषद् से विनियमित पाठ्यक्रमों बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड. एवं बी.एड.-एम.एड. (एकीकृत तीन वर्षीय) तथा बी.ए.बी.एड., बी.एससी.बी.एड., बी.एल.एड. पाठ्यक्रमों में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी विद्यार्थियों के लिए 'ऑनलाइन-काउंसलिंग' का द्वितीय अतिरिक्त चरण निम्नानुसार आयोजित किया जाता है :-

द्वितीय अतिरिक्त चरण हेतु काउंसलिंग के लिये महत्वपूर्ण तिथियां

क्रमांक	कार्यवाही	निर्धारित तिथियां	
		दिनांक से	दिनांक तक
1	अतिरिक्त चरण के पश्चात् महाविद्यालय में रिक्त सीटों की उपलब्धता	29.07.2019 सोमवार	
2	(अ) नवीन पंजीयन (ऐसे आवेदक जो पूर्व में प्रवेश हेतु पंजीयन नहीं करा सके हैं, वे पंजीयन कर द्वितीय अतिरिक्त चरण में रिक्त स्थानों पर प्रवेश आबंटन हेतु गुणानुक्रम अनुसार पात्र होंगे।	29.07.2019 सोमवार	03.08.2019 शनिवार
	(ब) द्वितीय अतिरिक्त चरण में आबंटन हेतु पंजीकृत अप्रवेशित एवं नवीन पंजीकृत आवेदकों से पुनः शिक्षण संस्थाओं का चयन/वरीयता प्राप्त करना।		
	(स) नवीन एवं संशोधन करवाने वाले पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन	30.07.2019 मंगलवार	05.08.2019 सोमवार
3	नवीन पंजीकृत आवेदकों बी.पी.एड. एवं एम.पी.एड. हेतु कमशः फिटनेस, प्रोफिसिएन्सी टेस्ट (निर्धारित हेल्थ सेंटर पर)	06.08.2019 मंगलवार	
4	समेकित मेरिट सूची का प्रकाशन	07.08.2019 बुधवार	
5	मेरिट एवं वरीयता अनुसार द्वितीय अतिरिक्त चरण में सीट आबंटन	13.08.2019 मंगलवार	
6	आबंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु सेंटर पर शुल्क का भुगतान एवं यथास्थिति टी.सी./ माइग्रेशन प्रस्तुत करना	13.08.2019 मंगलवार	20.08.2019 मंगलवार

शेष नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(डॉ. जयश्री मिश्रा)
अपर-सचिव

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक- 425/377/सीसी/2019/अडतीस
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक- 27/07/2019.

- 1- प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश।
- 2- निज सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा मंत्रालय, भोपाल (मोप्रो)।